रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 264] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 1970/श्रावण 5, 1892

No. 264] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 1970/SRAVANA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July 1970

S.O. 2535.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby appoints Shri Jasjit Singh, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) as Administrator with effect from the forenoon of the 27th July 1970 *vice* Shri S. P. Kampani.

[No. F.1/33/70-GC.II.]

P. GOVINDAN NAIR, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई 1970

का० आ० 2535.—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री जसजीत सिंह संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग), को श्री एस०पी० कम्पानी के स्थान पर 27 जुलाई, 1970 के पूर्वाह्न से प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 1/33/70-जी० सी० II.]

पी० गोविन्दन नायर, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970